रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 2334] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2014/कार्तिक 22, 1936
No. 2334] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2014/KARTIKA 22, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2014

का.आ. 2909(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 1422(अ), तारीख 20.06.2011 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24 के 488.270 कि.मी. से 413.200 कि.मी. (लखनऊ सीतापुर सेक्शन) तक के खण्ड के निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर चार लेन के विभाजित सड़कमार्ग में विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स लखनऊ सीतापुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड के शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत किया था।

अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं सग्रहण) नियम, 2008 और सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16.12.2013 द्वारा प्रकाशित इसके संशोधन नियम 2013 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन फा.सं. एच–39011/12/2014–टोल, तारीख 13.03.2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा का.आ.सं. 1422 (अ), तारीख 20.06.2011 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधित करती है:

1. अधिसूचना के पैरा 2 की टिप्पणी 2 में डब्लूपीआई–बी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

   "डब्लूपीआई–बी = शुल्क में संशोधन की तारीख से पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए औसत थोक मूल्य सूचकांक है"

2. जो यांत्रिक वाहन नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन अपनी श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा को पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए। ऐसे यांत्रिक वाहन के चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश करवाने के लिए नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन शुल्क संग्रहण एजेंसी

को, यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर, शुल्क का भुगतान करना होगा।

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/433/सीओ/08–09/जीसी/लखनऊ]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2014

S.O. 2909(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (collection of fees by any person for user of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary bridge on National Highways) Rules, 1997, Central Government, vide notification S.O. 1422 (E) dated 20.06.2011 authorized M/s. Lucknow Sitapur Expressway Limited to collect and retain the fee for the development, operation and maintenance of the stretch from km. 488.270 to km 413.200 (Lucknow - Sitapur section) of NH-24 in the state of Uttar Pradesh to four lane divided carriageway on Build, Operate and Transfer (BOT) basis.

Now, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008 and its Amendment Rules, 2013 published vide G.S.R. 778 (E) dated 16.12.2013 and Ministry of Road Transport and Highways Office Memorandum bearing File No. H-39011/12/2014-Toll dated 13.03.2014, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification published vide S.O. 1422 (E) dated 20.06.2011.

1. WPI-B in note 2 of Para-2 the Notification shall be substituted as follows:

"WPI-B = is the Average Wholesale Price Index for the year ending March 31st preceding the fee revision date"

2. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of Rule 4.

[F. No. NHAI/13013/433/CO/08-09/GC/Lucknow]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.